Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal No.- 09/2023

Anita Adhikari .... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors .... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	06.01.2024	**आदेश** प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अपील वाद सं0–15/2012 में दिनांक–24.07.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 20564/2013 में पारित आदेश दिनांक–30.01.2023 के आलोक में दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी किशनगंज जिला के ठाकुरगंज परियोजना अंतर्गत पंचायत–पौआखाली, आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–157 फूलवाड़ी में विधिवत् सेविका पद पर चयनित होकर अपने कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रही थी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक–98 दिनांक–17.02.2012 को इन्हें सेविका पद से चयनमुक्त कर दिया जिसके विरूद्ध जिला पदाधिकारी के समक्ष आँगनबाड़ी अपील सं0–15/2012 दायर किया गया। निम्न न्यायालय में उक्त अपील लंबित रहने के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 20477/2012 दायर किया गया जिसमें दिनांक–06.11.2022 को आदेश पारित करते हुए जिला पदाधिकारी, किशनगंज को त्वरित निष्पादन हेतु निदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा दिनांक–07.02.2012 को उक्त केन्द्र का निरीक्षण किया गया जिसमें केन्द्र खुला एवं सेविका तथा सहायिका सहित 16 बच्चे उपस्थित पाये गये। क्रय पंजी महिला पर्यवेक्षिका के पास था, अन्य पंजी का संधारण सही नहीं पाया जाना, बरामदे पर केन्द्र का संचालन करना, मंगलवार दिन को मीनू में रसिया की जगह खिचड़ी पकाने का आरोप प्रतिवेदित है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के ज्ञापांक–72 दिनांक–08.02.2012 द्वारा इनसे एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण की माँग की गई। अपीलार्थी निर्धारित अवधि दिनांक–16.02.2012 को स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए खुद को निर्दोष बताया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये आदेश ज्ञापांक–98 दिनांक–17.02.2012 द्वारा इन्हें सेविका पद से	

Web Copy Not Official.

		चयनमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध इनके द्वारा जिला पदाधिकारी के समक्ष दायर अपील वाद सं0–15 / 12 में उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक–24.07.2013 को अपील अस्वीकृत कर दिया गया। जिसके क्रमशः	
	लगातार 06.01.2024	विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर उक्त याचिका के आलोक में प्रस्तुत अपील विचारार्थ समर्पित है। इनका आगे कथन है कि निम्न दोनों न्यायालय का आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। निरीक्षण तिथि को केन्द्र खुला पाया गया एवं सेविका / सहायिका उपस्थित पाई गई तथा केन्द्र की साफ सफाई सुचारू रूप से पाया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त निरीक्षण के पूर्व महिला पर्यवेक्षिका द्वारा केन्द्र का कई बार निरीक्षण किया गया किन्तु अपीलार्थी एवं केन्द्र संचालन के विरूद्ध कभी भी किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं है। निरीक्षण तिथि को बच्चों की उपस्थिति सामान्य पाये जाने का मूल कारण था कि उस दिन माघी पूर्णिमा मेला के अवसर पर बच्चे अपने परिवार के साथ मेला गये हुए थे जबकि इससे पूर्व बच्चों की उपस्थिति के संदर्भ में कोई शिकायत दर्ज नहीं है। अपीलार्थी एवं सहायिका द्वारा हमेशा केन्द्र पर कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया जाता रहा है। इसके पूर्व इनके विरूद्ध कभी भी कोई शिकायत दर्ज नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा विभागीय पत्रांक–756 की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। निम्न दोनों न्यायालय ने अपीलार्थी के द्वारा समर्पित तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है एवं खंडित होने योग्य है। इनकी ओर से लिखित बहस समर्पित करते हुए उल्लेख किया गया है कि विभागीय पत्रांक–2688 दिनांक–17.10.2011 खंड–III की कंडिका–11 की उपकंडिका–I, II एवं III का अनुपालन नहीं किया गया है जिसमें निरीक्षण में पाये जाने संबंधित अनियमितता के आलोक में पहले चेतावनी फिर मासिक मानदेय की कटौती तदोपरांत चयनमुक्ति का निदेश दिया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के ज्ञापांक–72 दिनांक–08.02.2012 में शनिवार को बचपन दिवस मनाया जाना एवं केन्द्र का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना स्वीकार किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत केन्द्र के संचालन हेतु कोई सरकारी भवन आवंटित नहीं है और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अनुमति / सहमति से घर के बरामदे पर केन्द्र का संचालन किया जा रहा था। यह तथ्य अप्रासंगिक है जबकि वर्त्तमान चयनित सेविका रिजवाना खातुन द्वारा भी केन्द्र का संचालन अपने रिश्तेदार के घर पर किया जा रहा है। निरीक्षण तिथि को THR दिवस नहीं था। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–04 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा जाँच के क्रम में केन्द्र खुला एवं सेविका / सहायिका सहित 16	

Web Copy. Not Official.

		बच्चे उपस्थित जिसमें दो बच्चे पोशाक में थे। पोषाहार कम मात्रा में पाया जाना आदि उपरोक्त अनियमितता पाई गई। निरीक्षण तिथि को THR वितरण नहीं पाया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में इनसे कारण–पृच्छा की माँग की गई। जिसमें उन्होंने स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए क्षमा याचना की। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज ने सभी तथ्यों के अवलोकनोपश्चात् ज्ञापांक–98 दिनांक–17.02.2012 द्वारा उन्हें चयनमुक्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, किशनगंज के क्रमशः	
	लगातार 06.01.2024	समक्ष अपील सं0–15 / 12 दायर किया गया। जिसके लंबित रहने के दौरान ही उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 20477/12 दायर किया जिसमें दिनांक–06.11.2012 को आदेश पारित करते हुए जिला पदाधिकारी, किशनगंज को त्वरित निष्पादन का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के आदेश को बरकरार रखा गया। उक्त केन्द्र पर पुनः सेविका पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उत्तरवादी सं0–04 का चयन हुआ। उत्तरवादी सं0–04 चयन पश्चात् विधिवत् प्रशिक्षण पाकर केन्द्र का संचालन कर रही है। अपीलार्थी का दावा निराधार है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। जिला पदाधिकारी, किशनगंज ने पत्रांक–2333 दिनांक–26.09.2023 द्वारा तथ्य विवरणी समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा दिनांक–07.02.2012 को उक्त केन्द्र का निरीक्षण किया गया जिसमें उपरोक्त वर्णित अनियमितता का उल्लेख किया गया है। तदनुरूप अपीलार्थी से कारण–पृच्छा प्राप्त करते हुए इन्हें चयनमुक्त किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निदेश के आलोक में निर्धारित समय छः माह के अंदर आदेश पारित किया गया है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्रश्नगत केन्द्र पर विधिवत् चयनित होकर सेविका पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। इनके विरूद्ध आरोप है कि बच्चों की कम उपस्थिति, पोषाहार सही मात्रा में नहीं बनाया जाना, केन्द्र का संचालन बरामदे पर किया जाना आदि प्रतिवेदित है। अपीलार्थी का कथन है कि निरीक्षण तिथि को माघी पूर्णिमा के अवसर पर बच्चे अपने अभिभावक के साथ मेला गये हुए थे। बरामदे पर केन्द्र संचालन के तथ्य के संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि केन्द्र संचालन हेतु विभाग द्वारा कोई भवन आवंटित नहीं था। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की कोई गलत मंशा परिलक्षित नहीं होती है। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2688 दिनांक–17.10.2011 द्वारा कंडिका–11 में यथा उल्लिखित ''आँगनबाड़ी सेविका के कार्यकलाप में कमी पाये जाने की स्थिति में	

Web Copy. Not official.

		लाभुक सभा संकल्प पारित कर निम्नरूपेण कार्यवाही करने की अनुशंसा करेगी। (I) सर्वप्रथम सेविका/सहायिका को चेतावनी दी जायेगी कि वह निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर अपने आप में सुधार करे। (II) यदि (I) के बावजूद निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर वांछित परिणाम नहीं होते हैं तो महिला पर्यवेक्षिका/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पूर्णतया अथवा आंशिक (राशि के उल्लेख के साथ) रूप में मासिक मानदेय रोकने का निदेश देगी। (III) यदि (II) से वांछित परिणाम नहीं निकलते हैं तो महिला पर्यवेक्षिका/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश देंगे कि आँगनबाड़ी सेविका के रूप में उनके चयन को रद्द करने हेतु कार्यवाही चलाकर नई नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाय। निम्न दोनों न्यायालय के आदेश में उपर्युक्त विभागीय निदेशों का अनुपालन परिलक्षित नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 06.01.2024	विभागीय निदेशों की अनदेखी करते हुए चयनमुक्ति आदेश पारित किया गया है जिसे मार्गदर्शिका में उक्त निरूपित प्रावधानों के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न दोनों न्यायालयों के आदेश को विधिसम्मत् एवं मार्गदर्शिका में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी को पूर्व चयनित केन्द्र सं0–157 पर पुनः सेविका पद पर बहाल करने का आदेश दिया जाता है। अपील आवेदन स्वीकृत। चयनमुक्ति अवधि का इन्हें किसी प्रकार का मानदेय भुगतेय नहीं होगा। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.